न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महराजगंज

उपस्थितः अरविन्द मलिक, एच0जे0एस0 यू0पी01904

CNR N0.UPMH010027452026

दाण्डिक प्रकीर्ण संख्या–167/2026

आयुष चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

28.07.2026

पेश हुआ। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्षों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित।

7ख प्रार्थनापत्र पर आवेदक/निगरानीकर्ता व विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7ख प्रार्थनापत्र, शपथ पत्र 8ख के साथ आवेदक/निगरानीकर्ता आयुष चौधरी की ओर से प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आवेदक/निगरानीकर्ता कानून कायदे से अनभिज्ञ है और उसको यह पता नहीं था कि आदेश होने के उपरान्त निगरानी दाखिल करनी पड़ती है। आवेदक अपने अधिवक्ता से मिलने के उपरान्त निगरानी दाखिल कर रहा है। आवेदक ने निगरानी दाखिल करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अनुरोध किया कि यदि किसी कारण से विलम्ब हुआ है तो उसे धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाये।

विपक्षी की ओर से आवेदक के उपरोक्त प्रार्थनापत्र 7ख के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी, बहस के दौरान मात्र मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है।

आवेदक एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनांकित 09.06.2026 के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थनापत्र 7ख एवं प्रस्तुत आपराधिक निगरानी लगभग 100 दिन विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी है।

यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी मामले का निस्तारण यथासम्भव गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए, तकनीकीपन मात्र के आधार पर पक्षों को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस मत का है कि प्रार्थनापत्र 7ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 7ख स्वीकार किया जाता है। निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 31.07.2026 को पेश हो। तद्नुसार प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–167/2026 निस्तारित किया जाता है।

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0नं0यू0पी01904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।
28.07.2026

आर0वाई